

**अनुसूची- I**  
[नियम 5(2) देखें]

क्र.स.	वर्ग	आकस्मिक अवकाश/ प्रतिबंधित अवकाश	अर्जित अवकाश/ अर्ध वैतनिक अवकाश/ प्रत्यावर्तित अवकाश/ प्रसूति/ पैतृत्व अवकाश तथा संगरोध अवकाश	अतिरिक्त/ विशेष आकस्मिक अवकाश/ अध्ययन अवकाश/ अदेय अवकाश/ विशेष अशक्तता अवकाश/ अस्पताल अवकाश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>मुख्यालय</b>			
(i)	समूह 'क'	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(ii)	समूह 'ख'	सचिव	सचिव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(iii)	समूह 'ग'	अनुभाग प्रमुख	सचिव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(iv)	समूह 'घ'	अनुभाग प्रमुख	सचिव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
<b>2.</b>	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>			
(i)	समूह 'क'	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(ii)	समूह 'ख'	निदेशक	निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(iii)	समूह 'ग'	निदेशक	निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(iv)	समूह 'घ'	निदेशक	निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
<b>3.</b>	<b>राज्य केंद्र</b>			
(i)	समूह 'क'	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(ii)	समूह 'ख'	उप निदेशक	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(iii)	समूह 'ग'	उप निदेशक	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(iv)	समूह 'घ'	उप निदेशक	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
<b>4.</b>	<b>प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म</b>			
(i)	समूह 'क'	निदेशक वह क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत फार्म कार्यरत है।	निदेशक वह क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत फार्म कार्यरत है।	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(ii)	समूह 'ख'	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, उप निदेशक, राज्य केंद्र जिसके अंतर्गत फार्म कार्यरत है।	निदेशक वह क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत फार्म कार्यरत है।	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(iii)	समूह 'ग'	वरिष्ठ फार्म प्रबंधक/ फार्म प्रबंधक	उप निदेशक फार्म को नियंत्रित करने वाला राज्य केंद्र	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(iv)	समूह 'घ'	वरिष्ठ फार्म प्रबंधक/ फार्म प्रबंधक	उप निदेशक फार्म को नियंत्रित करने वाला राज्य केंद्र	#मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Note: 15 दिन और इससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में, अवकाश प्रदान करने की उसके द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियों का प्रयोग मुख्य नारियल विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

#भारत के राजपत्र, भाग II - खण्ड 3- उप-खण्ड (ii) दिनांक 27.05.2022 में प्रकाशित का.आ.2430(अ) दिनांक 26.05.2022 के अनुसार संशोधित।